ਕਸਟ 2009-10

STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC. COMMERCIAL DEPARTMENT ELECTRICITY TARIFF						
1	Domestic Lighting & Fan and Power on					
1.1	Single Delivery Point 2					
	LifeLine up to 50 units	2 Rs /kW/month	125 Paise/kWh			
	0-100 units	2 Rs /kW/month	150 Paise/kWh			
	101-200 units	2 Rs /kW/month	210 Paise/kWh			
	201-400 units	2 Rs /kW/month	300 Paise/kWh			
	Above 400units	2 Rs /kW/month	360 Paise/kWh			
1.2	Separate Delivery Points/Meters					
а	Lighting/Fan	2 Rs /kW/month	Same as in 1.1	as in 1.1		
b	Power	2 Rs /kW/month	360 Paise/kWh			
2	Non Domestic					
2.1	Non Domestic (Low Tension)					
а	Single Phase (<= 5kW)	2 Rs /kW/month	440 Paise/kWh			
b	Three Phase (>= 5kW)	2 Rs /kW/month	500 Paise/kWh			
2.2	Mixed Load (High Tension) - Sanctioned Load > 100 kW					
а	Supply at 11 kV (HT)	150 Rs/kVA/month	390 Paise/kVAh 3		6.37	
b	Supply on LT (400 Volt, where supply is given	200 Rs/kVA/month	465 Paise/kVAh		7.64	
	from NDMC sub-station)					
С	Where applicant provides built up space for sub-station		Tariff for Supply on 11 kV as above plus 10%	_		
3	Small Industrial Power 4	2 Rs /kW/month	410 Paise/kWh (upto 30.09.2009)	400 Paise/KWH w.e.f. Oct. 2009		
4	Public Lighting	Maintenance				
		Charges @ Rs 60/ month/ Street	360 Paise/kWh			
		lighting point				
5	Railway Traction 5		_		•	
а	Supply on 11 kV	150 Rs/kVA/month 6	340 Paise/kVAh			
b	Supply on LT (400 volts)	200 Rs/kVA/month 6	425 Paise/kVAh			

ਕਸਟ 2009-10

	विवरण-VII- कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची					
	वाणिज्य विभाग					
		विद्	त शुल्क			
	श्रेणी	निर्धारित/मॉॅंग	ऊर्जा प्रभार			
		प्रभार-1				
1.	घरेलू लाइटें तथा पंखे एवं पावर ऑन					
1.श्रंद	एकल वितरण प्वाइंट 2					
	50 यूनिट तक उपयोगिता	2 रुपये/िक.वा./मास	125 पैसे∕िक.वा.			
	0.100 यूनिट	2 रुपये/िक.वा./मास	150 पैसे∕िक.वा.			
	101.200 यूनिट	2 रुपये/िक.वा./मास	210 पैसे∕िक.वा.			
	201.400 यूनिट	2 रुपये/िक.वा./मास	300 पैसे∕िक.वा.			
	400 यूनिट से अधिक	2 रुपये/िक.वा./मास	360 पैसे∕िक.वा.			
2.श्रंद	पृथक वितरण प्वाइंट/मीटर					
क	लाइटें/पंखे	2 रुपये/िक.वा./मास	1.1 के समान			
ख	पावर	2 रुपये/िक.वा./मास	360 पैसे∕िक.वा.			
2	गैर-घरेलू					
1.थ्मइ	गैर-घरेलू (निम्नदाब)					
क	सिंगल फेस (5 किलो वॉट से कम)	2 रुपये/िक.वा./मास	440 पैसे∕िक.वा.			
ख	थ्री फेस (5 किलो वॉट से अधिक)	2 रुपये/िक.वा./मास	500 पैसे∕िक.वा.			
2.थ्मइ	मिक्सड लोड (उच्चदाब) स्वीकृत लोड 100 कि.वा. से अधिक					
क	11 के.वी. (उच्चदाब) पर आपूर्ति	150 रुपये/कि.वा./मास	390 पैसे/िक.वा. ए एच-3	6.37		
ख	निम्नदाब आपूर्ति (400 वोल्ट, जहाँ न.दि.न.पा. परिषद् सब-स्टेशन से	200 रुपये/कि.वा./मास	465 पैसे∕िक.वा. ए एच	7.64		
	आपूर्ति दी गई है ।					
ग	जहाँ आवेदक सब-स्टेशन हेतु बना हुआ स्थल उपलब्ध कराता है	उपरोक्त की तरह 11 के.वी. पर	आपूर्ति दर पर जमा + 10 प्रतिशत से अध्कि हेतु शुल्क			
3	लघु औद्योगिक पावर 4	2 रुपये/िक.वा./मास	410 पैसे∕िक.वा. (30.9.2009 तक) 1 अकटू. 2009 से 400 पैसे∕िक.वा.			
4	पब्लिक लाइटिंग	रखरखाव				
		प्रभार 60/-रुपये प्रतिमास/प्रति सङ्क की	360 पैसे∕िक.वा.			
		दर से				
		लाइटिंग प्वाइंट				
5	रेलवे ट्रैक्शन-5					
अ	11 कि.वा.में आपूर्ति	150/-रुपये/के.वी.ए/मास- 6	340 पैसे/कि.वा. ए.एच			
ৰ	निम्नदाब पर आपूर्ति (400 वॉल्ट)	200/-रुपये/के.वी.ए./मास-6	425 पैसे/के.वी.ए.एच			

बबर 2009.10

	STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.						
	COMMERCIAL DEPARTMENT						
ELECTRICITY TARIFF							
	Category	Fixed/Demand	Energy Charges				
		Charges 1					
6	Temporary Supply						
6.1	For a total period of	50% of the relevant category	higher by 30% (temporary surcharge)the relevant category				
Α	Less than 16 days		of tariff				
В	More than or equal to 16 days	Same as that of relevant category	higher by 30% (temporary surcharge) of the relevant category of tariff				
6.2	For religious functions of traditional established and characters	Same as 1.1	Same as 1.1 without temporary surcharge				
6.3	For major construction projects	Same as that of relevant category	Same as that of relevant category with temporary surcharge of30%				
7	Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)		_				
Α	DMRC (220 kV)	75 Rs/k V A/month	300 P/k V Ah				
В	DMRC (66 kV)	75 Rs/k V A/month	300 P/k V Ah				
New De	lhi Municii Multi Year Tariff Order (FY08 – FY11)						

Notes of Superscripts:

1 For all categories other than Domestic, Fixed/Demand charges are to be levied on sanctioned load or MDI reading, whichever is higher, on per kW or part thereof basis. Where the MDI reading exceeds contract demand by more than 5%; a surcharge of 30% shal

- 2 The entitlement of various slabs under domestic category shall be worked out on pro-rata basis depending upon the duration of the billing cycle.
- 3 The incumbent shall be entitled for a rebate of 2.5% on the energy charges on 11 kV rates for availing 3 phase supply on 33/66 kV and 4% for supply at 220 kV.
- 4 For Industrial consumers having valid NDMC licensee
- 5 Tariffs for Northern Railways Traction are based on the supply being given through a single delivery and metering point at single voltage. An additional capacity blockage charges are also applicable to be calculated as Rs 1260 x (2.97A + 5) where A is c
- 6 The simultaneous maximum demand, for all metering points, shall be considered for levying demand violation charges.
- 7. The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity tax and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.
- 8. All surcharges shall be levied on the absic tariff applicable to the category of use or category of sanction, whichever has higher tariff
- 9. In the event of the electricity bill rendered by the licensee, not being paid in full within the time specified on the bill, a surcharge @ 1.5% on the principal amount of bill which has not been paid shall be levied for each 30 days successive period o
- 10 Wherever the fixed/demand/energy charges are specified in Paisa per kVah, for the purpose of billing the kVah as read from the meter shall be used.

Further any amendment in the notified tariff by DERC will also be made applicable mutates mutandis to the consumers of NDMC.

बन्द 2009.10

	विवरण-VII- कर की दरों ⁄विद्युत एवं जल ∕प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची <u>वाणिज्य विभाग</u>					
	विद्युत शुल्क					
	श्रेणी	निर्धारित∕माँग प्रभार-1	ऊर्जा प्रभार			
6 6.1 क	अस्थाई आपूर्ति की कुल अवधि के लिए 16 दिन से कम	संगत श्रेणी का 50 प्रतिरात	दर की संगत श्रेणी से 30 प्रतिशत तक अधिक (अस्थाई सरचार्ज)			
ख	16 दिन के बराबर या उससे अधिक	संगत श्रेणी के समान	दर की संगत श्रेणी से 30 प्रतिशत तक अधिक (अस्थाई सरचार्ज)			
	धार्मिक परम्परागत स्थापित कार्यक्रम व कार्यकलाप वृहत् निर्माण परियोजनाओं के लिए-7. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) क डी.एम.आर.सी (220 केवी) ख. डी.एम. आर.सी (66 के.वी.)	संगत श्रेणी के समान 75 रु०./के.वी. ए/मास	1.1 के समान अस्थाई सरचार्ज के बिना संगत श्रेणी के समान 30 प्रतिशत अस्थाई सरचार्ज के साथ 300 पी/के वी.ए.एच			

ऊपर लिखित का टिप्पण

- 1. घरेलु को छोड़कर नियत/माँग प्रभार स्वीकृति लोड या एमडीआई रिडिंग पर प्रति किलो वॉट या उसके भाग के आधार पर जो भी कम हो, जहाँ पर एमडीआई रिडिंग मांग से 5 प्रतिशत अधिक हो, वहाँ पर उस अविध के बिलों पर नियत मांग बिजली प्रभार के साथ 30 प्रतिशत होगी
- 2. घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न स्लैबों के हकदारी यथा अनुपात आधार पर निकाली जायेगी जोकि बिल अवधि पर निर्भर करेगा ।
- 3 33/66 के.बी. पर तीन फेस के लिए 11 के.बी. बिजली प्राप्तकर्ता उपभोक्ता 2.5 प्रतिशत और 220 के.बी. से आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता 4 प्रतिशत छूट का हकदार होगा ।
- 4 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का लाइसैसधारी औद्यौगिक उपभोक्ताओं के लिए
- 5. नार्दन रेलवे ट्रैक्शन के लिए दरें आपूर्ति करने वाले सिंगल वोल्टेज पर सिंगल आपूर्ति और मीटरिंग प्वाइंट पर आधारित है । अतिरिक्त क्षमता ब्लाकेज प्रभार भी लागू है जोकि 1260 गुणा (2.97 रुपये +5) निकाला जाता है जहाँ पर ए अनुबन्ध/अधिकतम मांग ह,
- 6. सभी मीटरिंग प्वाइंटों के लिए मांग उल्लंघन प्रभारों अधिकतम मांग होगी।
- 7. अनुसूची में वर्णित दरें विद्युत शुल्क तथा अन्य करो एवं प्रभारों के अनन्य है जैसांकि सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय से लागू हो, जो कि अतिरिक्त देय है ।
- 8. सभी सरचार्जों को स्वीकृत श्रेणी अथवा प्रयोग की श्रेणी पर लागू मूल शुल्क पर वसूला जाएगा, जो भी अधिक शुल्क हो ।
- 9. बिल पर विनिर्ष्टि समय के भीतर पूर्ण भुगतान न करने पर लाइसेंसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले विद्युत बिल की स्थिति में, बिल की मूल राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया है पर 1.5 प्रतिशत की दर से सरचखर्ज प्रत्येक 30 दिनों की उत्तरवर्ती अवधि शृन्य से वसूली जाएगी।
- 10. इसके आगे डी.इ.आर.सी. द्वारा अधिसूचित शुल्क में कोई संशोध्न न.दि.न.पा.परिषद् के उपभोक्ताओं को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

बबर 2009.10

STATEMENT-VII-SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.

COMMERCIAL DEPARTMENT

ELECTRICITY TARIFF

Electricity taxes and other levies

The rates stipulated in the Schedule are exclusive of electricity tax and other taxes and charges, as levied from time to time by the Government or any other competent authority, which are payable extra.

Surcharges

All surcharges shall be levied on the basic tariff applicable to the category of use or category of sanction, whichever has higher tariff.

Billing in kVAh

Wherever the fixed/ demand/ energy charges are specified in Paisa per kVAh, for the purpose of billing the kVAh as read from the meter shall be used.

Payments

In the event of the electricity bill rendered by the licensee, not being paid in full within the time specified on the bill, a surcharge @ 1.5% on the principal amount of bill which has not been paid shall be levied for each 30 days successive period or p

The Commission directs the Petitioner, that in case the bill for consumption of electricity is more than Rs. 4,000, payment for the bill shall only be accepted by the Petitioner by means of an Account Payee cheque/DD.

Interpretation/Clarification

In case of doubt or anomaly, if any, in the applicability of tariff or in any other respect, the matter will be referred to the Commission and the Commission's decision thereon shall be final and binding.

NDMC Employees:

Electric connections sanctioned to Municipal Employees in municipal accomodation for their bonafide domestic use and availing concessional tariff @13 paisa per unit and minimum charges Rs. 15 per Kw or part thereof per month for load below 5 Kw and Rs. 30

ਸੂਢ 278

बजर 2009.10

विवरण-VII- कर की दरों/विद्युत एवं जल प्रभार/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची <u>वाणिज्य विभाग</u>

विद्युत शुल्क

विद्युत कर एवं अन्य वसूलियाँ

सुची में दी गई निर्धारित दरें केवल विद्युत कर की है व अन्य कर तथा प्रभार जो कि सरकार द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत किये जाते हैं, अतिरिक्त देय होंगे ।

अधिभार

सभी अधिभार प्रयोग की जा रही श्रेणी पर स्वीकृत श्रेणी जिसके लिए अधिक दर-शुल्क होगा, मुल दरों पर लगाये जायेंगे ।

कि.वो.एम्प. में बिलिंग

जब कभी भी पैसा/प्रति कि.वो.एम्प. में बिजली प्रभार/माँग/नियत का विशिष्टीकरण किया जाए, कि.वो.एम्प. के बिलिंग उददेश्य के लिए मीटर रीडिंग पढ़कर व्यवहार में लाया जाए ।

भुगतान

लाइसैसधारक द्वारा भेजे गये बिल का उसमें निर्धारित तिथि तक पूर्ण भुगतान न किये जाने की स्थिति में बकाया राशि प्रत्येक 30 दिन के लिए या उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत अधिभार वसूल किया जाएगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-56 के अन्तर्गत निश्चित अविध

याचिकाकर्ता को आयोग ने निर्देश दिए कि 4,000 रुपये से अधिक की बिजली खपत की स्थिति में बिल का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा खाताधारी के पक्ष में चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

व्याख्या/स्पष्टीकरण

दरों की ग्राहयता संबंधी किसी प्रकार की असंगतता या आशंका की स्थिति में या अन्य संबंधी मामला आयोग को भेजा जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम व बाध्यकर होगा ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारी आवासों में रहने वाले पालिका कर्मचारियों के लिए घरेलू उपयोग के लिए 01.01.1998 से रियायती दर 13 पैसे प्रति यूनिट है और न्यूनतम प्रभार 15/-रुपये प्रति कि.वा. या उसके भाग के लिए हैं जो कि प्रतिमास 5 कि.वा. से कम लोड के लिए 30 रु0

ਸੂਢ 279